हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लालदीन बनाम महेन्द्र खां व अन्य राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं0 06/2018 अन्तर्गत धारा **235, आर टी ए**	५

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय उसके अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0– 6 (मेरे खां) के अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई उपस्थित। अन्य अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

अप्रार्थी–6 के अधिवक्ता ने बतलाया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 53 ग्राम देगावड़ी तहसील बाप को लेकर घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का नियमित राजस्व वाद सहायक कलक्टर बाप न्यायालय में विचाराधीन है तथा वाद सुनने का क्षेत्राधिकार भी सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाप को ही है। अब प्रार्थीगण स्वयं जोधपुर शहर में निवास करते हैं तथा मनमाने ढंग से वाद को स्थानान्तरण कराने के लिए इस न्यायालय में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अ/धा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर दिया गया। बहस में आगे यह भी कहा कि अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ग्राम चारणाई तहसील बाप में निवास करते है इस कारण जानबूझकर इनको परेशान करने के लिए उक्त वाद को जोधपुर में स्थानान्तरण करवाना चाहता है जो कानूनन संभव भी नहीं है। प्रार्थीपक्ष को कभी भी धमकी नहीं दी, न ही किसी प्रकार का अनुचित दबाव डाला गया।

प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि ग्राम देगावड़ी तहसील बाप के ख.नं. 53 रकबा 424.09 बीघा भूमि को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य एक राजस्व वाद संख्या 55/2011 लालदीन वगैरा बनाम महेन्द्र खां वगैरा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी बाप न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त वाद की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा व्यवधान व बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा प्रार्थी को जान से मारने की धमकीयां दी जा रही है तथा अनुचित दबाव डालकर मुकदमा विड्रो करने को कहते है तथा गवाहन को डराया धमकाया जाता है अतः प्रार्थीगण को अपने द्वारा पेश किये गये उक्त राजस्व वाद में उपखण्ड अधिकारी बाप न्यायालय से न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है अतः इस कारण न्याय के लिए विवादग्रस्त भूमि को लेकर उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद को उपखण्ड अधिकारी बाप एवं फलोदी को छोड़कर अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस में यह भी कहा कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से जान माल का नुकशान होने की संभावना है।

अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने बहस के प्रत्युत्तर में कहा

लगातार....

कि प्रार्थीगण के साथ कभी भी मारपीट नहीं की, न धमकियां दी गई। आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया तथा यह जोधपुर में रहते हुए अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से झूठी 107 सीआर.पी.सी.की कार्यवाही करता रहता है। अतः मात्र मनगढन्त आरोप लगाकर वाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार से बाहर स्थानान्तरण करने का कोई आधार नहीं है, न न्यायोचित भी है। अन्त में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। यह प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2018 से इस न्यायालय में विचाराधीन है तथा अभी तक सभी अप्रार्थीपक्ष के नोटिस तामील भी नहीं हुए है। प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) बाप न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 55/2011 (177/2013) लालदीन वगैरा बनाम महेन्द्र खां की फोटो प्रतियां पेश की गई जिसमें दिनांक 13.07.2017 तक प्रतिवादीगण की तलबी स्तर पर विचाराधीन था। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा व्यवधान व बाधा उत्पन्न करने एवं प्रार्थीगणों को निरन्तरं जान से मारने की धमकिया देने के आरोप लगाते हुए उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष विचाराधीन उक्त वाद को स्थानान्तरित करने का मुख्य आधार लिया गया, परन्तु प्रार्थीपक्ष द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसे संबंधित न्यायालय में वाद सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा बाधा उत्पन्न करने या जान से मारने की धमकियां दी गई हो अतः प्रार्थीपक्ष द्वारा विचाराधीन वाद को अन्यत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए स्थानान्तरित करने के तथ्य प्रस्तुत किये गये, वो मानने योग्य नहीं है, परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी बाप को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।